सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 349 राँची, मंगलवार, 23 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अप्रैल, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-28/2015 का०- 3083-- श्री उदयकांत पाठक, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला-खगड़िया), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, सम्प्रति सरकारी सेवा से मुक्त के विरूद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1118/गो०, दिनांक 17.06.2015 द्वारा झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के लिए बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा तिलाटांड में बगैर भू-अर्जन प्रक्रिया का अनुपालन किये मनमानीपूर्वक मुआवजा भुगतान करने संबंधी आरोप प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-6465, दिनांक 21.07.2015 द्वारा श्री पाठक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

विषयगत मामले में श्री पाठक के विरूद्ध दर्ज धनबाद थाना कांड सं०-657/2015 में इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं0-9688, दिनांक 05.11.2015 द्वारा दिनांक 30.09.2015 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1395/गो०, दिनांक 14.11.2016 द्वारा श्री पाठक के दिनांक 29.10.2016 को हिरासत से मुक्त होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं०-1774, दिनांक 28.02.2017 द्वारा इन्हें योगदान दिये जाने की तिथि 12.11.2016 के

प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-3875, दिनांक 23.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु इन्हें स्मारित किया गया है।

श्री पाठक से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5975, दिनांक-05.05.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-260, दिनांक-01.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

श्री पाठक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-851, दिनांक 01.02.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सेवा से मुक्त करने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा विभागीय पत्रांक-2246, दिनांक 03.04.2018 द्वारा स्मारित किया गया। इसके आलोक में श्री पाठक के पत्र, दिनांक 06.04.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री पाठक द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-3643, दिनांक 28.05.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1671, दिनांक 16.07.2018 द्वारा सहमति संसूचित की गई। श्री पाठक को सरकारी सेवा से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक 07.08.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति दी गयी।

तत्पश्चात्, श्री पाठक को विभागीय संकल्प सं०-1442(HRMS) दिनांक 09.08.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सरकारी सेवा से मुक्त किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री पाठक का पुनर्विचार अभ्यावेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-4221, दिनांक 20.12.2018 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री पाठक द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है बल्कि वही बातें दुहरायी गयी हैं, जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष/द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित की गयी है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री उदयकांत पाठक, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला-खगड़िया), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, सम्प्रति सरकारी सेवा से मुक्त के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए इन पर पूर्व में अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 349 -- 50